Madhya Pradesh

Bhopal

Deshbandhu: Print & online

तम्बाकू नियंत्रण के लिए कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो

भोपाल, देशबन्धु। तम्बाकू जनित रोगों पर नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि इससे संबंधित नियम और कानूनों का सख्ती से पालन किया जाये, यह सर्वसम्मत राय 'तम्बाकू नियंत्रण' पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में उभर कर सामने आई।

नेशनल सेन्टर फर ह्यूमन सेटलमेन्टस एण्ड एनवायरमेंट, भोपाल और कन्जयूमर वाइस दिल्ली ने मिलकर आज 'तम्बाकू नियंत्रण' पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की। प्रारम्भ में दस्तीपत्रसाई के महानिदेशक डॉ. पी. के पन्नी ने तम्बाकू उपयोग से जुड़ी देश और मध्य प्रदेश की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया कि भारत दुनिया में तीसरे नम्बर का तम्बाकू उत्पादक है और उपभोग में दूसरे नम्बर पर है। देश में लगभग 28 करोड़ लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं और प्रति वर्ष लगभग 13.5 लाख लोग तम्बाकू जनित रोगों का शिकार हो जाते हैं। इसमें कैंसर से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। देश में तम्बाकू उपभोक्ताओं की औसत उम्र 17.9 वर्ष है और सबसे ज्यादा किशोर इसकी गिरफ्त में हैं।

कन्जयूमर वाइस के श्री अमरजीत सिंह ने तम्बाकू उपयोग को लेकर देश के 6 राज्यों में हुए एक अध्ययन की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के तीन शहरों (भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर) में किये गये अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि देशी-विदेशी तम्बाकू उत्पादक बहुत ही व्यवस्थित और प्रभावी प्रचार अभियान चलाते हैं। इस अभियान

का उपभोक्ताओं विशेषकर युवाओं के अवचेतन पर गहरा असर होता है और वे इसके आदी होने लगते हैं। श्री अमरजीत सिंह ने भोपाल की स्थिति बताते हुए कहा कि यहां दो वार्ड में जो सर्वे किया गया उसमें रिहायसी क्षेत्र में 44 और 53 प्रतिषत दुकानों में तम्बाकू की बिक्री होती है।

नगर निगम भोपाल की एडीषनल कमिषनर श्रीमती मलिका नगर ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में तम्बाकू नियंत्रण के कानूनों के पालन की जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन की है और तम्बाकू बिक्री के संबंधित उल्लंघन दिए गए हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीकों से इसकी बिक्री विशेषकर झुग्गी बस्तियों में हो रही है। हमने नियंत्रण के लिए जोनल अधिकारियों को निगरानी के लिए लगाया है और भविष्य में इस दिशा में सख्ती की जायेगी।

भोपाल के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. एस. के. सक्सेना का मत था कि व्यवहारिक उपाय यह होगा कि तम्बाकू के उत्पादन पर ही रोक लगाई जाये। जवाहरलाल कैंसर अस्पताल भोपाल की विषेषज्ञ डॉ. संगीता सिंह ने कहा कि इस संबन्ध में कई तरह के कानून हैं जो क्रियान्वयन के समय उलझन पैदा करते हैं। उनका यह भी मत था कि इसको लेकर अगर प्रभावी प्रचार अभियान चलाया जाये तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार सी. के. नायडू ने कहा कि उत्पादन या बिक्री पर रोक किसी समस्या का हल नहीं है। कई राज्यों में सराब की बिक्री पर रोक है लेकिन वहां शराब आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने कडों की उपभोगताओं की कार्यशैलि एक प्रभावी और नतीजे देने वाला तरीका हो सकता है।

श्रोताओं में से यह बात उभर कर सामने आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में तम्बाकू नियंत्रण पर कोई ध्यान नहीं की गई है। वहां बड़ी मात्रा में तम्बाकू उत्पाद बिक रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों जैसे कोई एजेन्सी नहीं है जो बिक्री की निगरानी करे।

कार्यषाला की अध्यक्ष निर्मला वुच ने कार्यक्रम का समापन करते हुए कहा कि अंशेष की तरह ही तम्बाकू भी केंसर जाप है और इसकी सीमत क्षेत्र में उत्पादन की अनुमति है। इसी प्रकार से तम्बाकू का उत्पादन भी नियंत्रित किया जा सकता है। श्रीमती वुच ने यह भी कहा कि सराब में महिलाएं सराब के दुष्प्रभावों से अवगत हैं और वे इसकी रोकथाम में मदद करती हैं, लेकिन तम्बाकू के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गई। उन्हें भी जागरुक बनाने की जरुरत है। उन्होंने यह भी कहा कि नियम कानून के पालन में सभी की भागीदारी जरुरी है तभी परिणाम मिलेंगे। कार्यषाला में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए और उन्होंने सुझाव भी दिये हैं।

Free Press Jounal:Print & online

Concern over increasing use of tobacco among children

Workshop held to sensitize stakeholders to support tobacco vendor licensing and effective tobacco control measures

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

Strict implementation of vender licensing and strict compliance of sections 4 to 7 COTPA 2003 is must to save children from the tobacco related health hazards, opined delegates attending a workshop on Tobacco Control here on Monday.

National Centre for Human Settlements & Environment (NCHSE) in partnership with Consumer Voice had organized the state level dissemination workshop to sensitize stakeholders to support tobacco vendor licensing and effective tobacco control measures.•

DENSITY OF TOBACCO VENDORS HIGH IN COMMERCIAL, RESIDENTIAL AREAS

The finding of a survey on selling of tobacco products in three cities of the state namely Bhopal, Indore and Gwalior was presented by adviser legal and projects, consumer VOICE Amarjeet Singh Panghal. The density of tobacco vendors is too high in both commercial and residential areas and there is no record available of tobacco vendors. Around 84 % tobacco vendors were found selling candy chips etc. the products meant for and to attract children/youth to tobacco shops.

NCHSE, director general Dr Pradip Nandi spoke on the magnitude of tobacco consumption in India and Madhya Pradesh and their health impacts, especially on youth.

The chairperson of the workshop Nirmala Buch said that if the restriction on poppy cultivation for opium production could be imposed, why not the same could be applied for tobacco production.

Additional Commissioner, Bhopal Municipal Corporation, Malika Nagar, admitted that illegal selling of tobacco products specially in slum areas of city was rampant.

She informed that BMC grants only limited licenses and was also taking several measures to check selling of tobacco products to the children/youth below the age of 18 years. Zonal Officers have been entrusted with the responsibility of monitoring of compliance of COTPA, she added.

JN Cancer Hospital Dr Sangeeta Singh informed that tobacco is a major cause of cancer which makes the effected families financially and emotionally.

संचालनालय खेल
टी.टी. नगर स्टेडी
दूरभाष क्रमांक 075
क्रमांक 9404/खे.तू.क./जपो./2019
ई-निवि
संचालनालय खेल और युवा कल्याण, विभागियों के कार्यों स्पोर्ट्स किट, प्रेस कार्ड हेतु" निविदा आमंत्रित की जिसका डॉर्न www.mptenders.gov उपरांत निविदा में कोई संशोधन व शर्तें उपलब्धित ई-टेण्डर पोर्टल पर ही उपलब्ध
म.प्र. माध्यम/92600/2019
संचालनालय खेल
टी.टी. नगर स्टेडी
दूरभाष क्रमांक 075
क्रमांक ...../खे.तू.क./जपो./2019